न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थीया	ब ना म	अप्रार्थीगण
माया पत्नी कल्याण जाति खटीक निवासी अजमेर हाल निवासी कुचामनसिटी		गोरधन पुत्र पूसाराम मेघवाल जसराना वगैरह

राजस्व प्रार्थना पत्र = बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

प्रार्थना–पत्र नम्बर 147/2022 GCMS No.2022/ 296

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24.08.2022	वकील प्रार्थी द्वारा यह राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनॉक 23.09.2022 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के 684/205 रकबा 0.70 हैक्टर में अप्रार्थी संख्या 1 को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे एवं जेसीबी, ट्रेक्टर, डम्पर आदि चलाकर मिट्टी नही उठावे व किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा विरूद्व अप्रार्थी संख्या 8 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें तथा अप्रार्थी सं. 9 किसी भी प्रकार के हस्तानान्तरण दस्तावेज का पंजियनर अपने कार्यालय में नही करे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 23.09.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
23/9/2022	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 7/12/2022 को पेश हो।	
31-10-2022	वकील प्रार्थी के आवेदन पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते अतः वापिस विड्रोल खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। [illegible] बताया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] वापिस विड्रोल खारिज किया जावे। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	[illegible]

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)